Training Module on PESA 1996 Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act

SAMARTHAN- Centre for Development Support

H/No 1, Behind Bank of Baroda, KPS Dunda Road (NH 43)
Devpuri, Raipur, Chhattisgarh- 492015

पंचायती राज व्यवस्था एवं अनुसूची क्षेत्र पर पंचायत विस्तार अधिनियम 1996

लोकतंत्र, संविधान और कानून –

आजादी के बाद से हमारे देश में संविधान के आधार पर बनायी गयी शासन व्यवस्था चल रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में संविधान का शासन चल रहा है। पंचायत, ग्रामसभा जैसे शब्द संविधान में लिखे गये है जिसके बाद इन्हें कानून की ताकत मिली है। वास्तव यह संविधान ही हमारे अधिकारों की किताब है। संविधान के कारण ही प्रधानमंत्री है और संविधान के कारण ही मुख्यमंत्री। अतः संविधान ही देश में पद, संस्थाओं और सरकारो के जन्म का आधार है। इसलिये यह जरुरी है कि भारत के हम सभी नागरिक अपने देश के संविधान और इसकी मूल भावना को समझें।

संविधान की संरचना

भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान कितना बड़ा है इसका अंदाजा नीचे बनाये गये रेखा चित्र से लगाया जा सकता है।

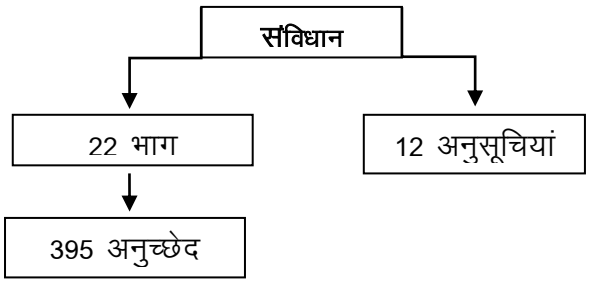

संविधान के इन 22 भागों, 395 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों में आम आदमी के अधिकार, कर्तव्य, देश में सरकार और उसका स्वरुप, न्यायपालिका के साथ – साथ पद और पदाधिकारी सभी कुछ स्पष्ट किये गये है।

भारत गणराज्य की संवैधानिक संस्थाएं –

भारत के संविधान में शासन की तीन भूमिकाएं कानून बनाने की, कानून लागू करने की और उसके आधार पर न्याय करने की स्पष्ट की गयी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस व्यवस्था को नीचे चित्र में स्पष्ट किया गया है।

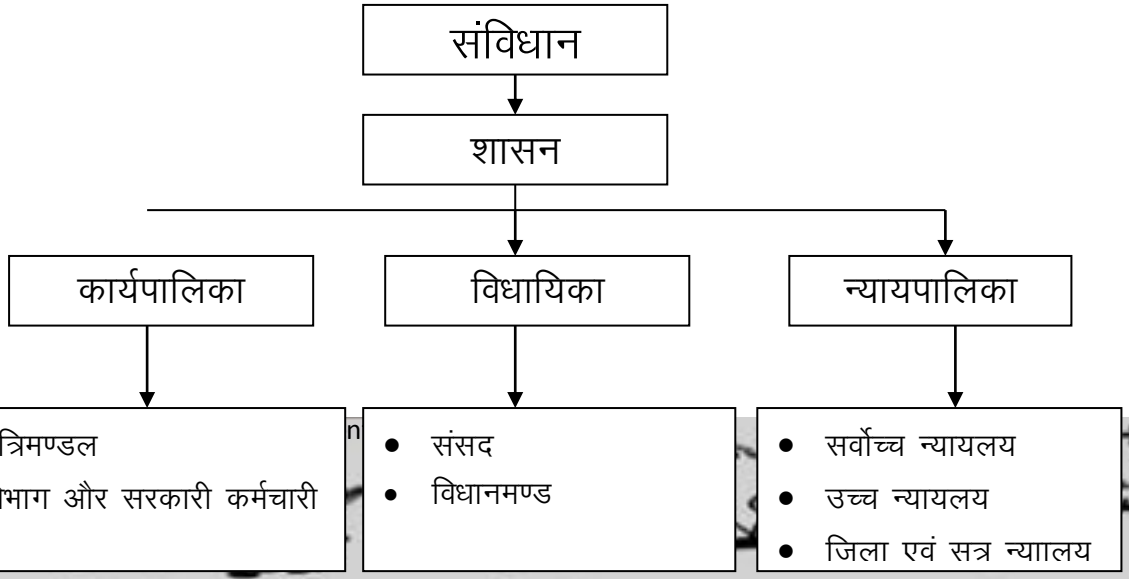

संविधान शासन व्यवस्था तीन संस्थाओं के हाथों में दिया गया है।

विधायिका:

विधायिका विधान या नियम कानून बनाने वाली संस्था है। पूरे देश के लिये सबसे बड़ी विधायी संस्था देश की सांसद है।

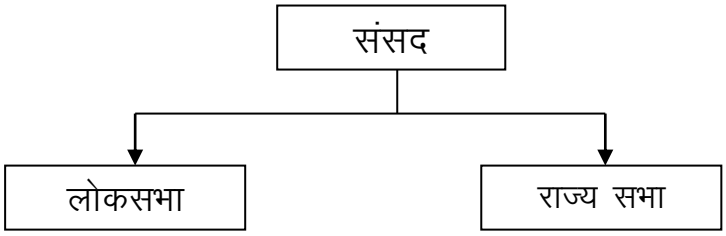

राज्य स्तर पर विधानमण्डल, विधायी संस्था है।

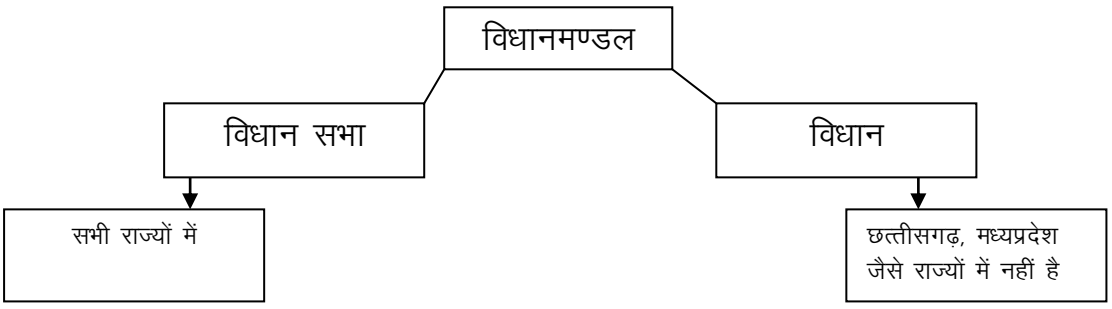

संविधान के तिहत्तरवे संशोधन के बाद जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत भी विधायी संस्थाएं हो गयी है।

कार्यपालिका –

देश में रोज की शासन व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी देश की कार्यपालिका पर है। कार्यपालिका का संविधान के आधार पर रोज की शासन व्यवस्था चलाना है। विधायिका के द्वारा लिये गये नीतिगत फैसलों को लागू करना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है।

कार्यपालिका में देश का मंत्रीमण्डल, प्रदेश का मंत्रीमण्डल, सचिवालय और सरकारी विभाग आते है, जो संविधान की भावना और विधायिका के नीतियों के आधार पर रोज का काम काज चलाते है।

न्यायपालिका –

न्यापालिका की जिम्मेंदारी है सही गलत तय करना और यह देखना कि कहीं संविधान और उसकी मूल भावना का उल्लंघन तो नही हो रहा है। सही – गलत के फैसलों के आधार पर संविधान और विधायिका के द्वारा बनाये गये नियम कानून है।

देश की न्यायिक संस्थाएं इस प्रकार है –

1. जिला स्तरीय न्यायलय
2. प्रदेश स्तर पर उच्च न्यायलय
3. पूरे देश स्तर पर सर्वोच्च न्यायलय

अभी हाल ही में ग्राम न्यायलयों के गठन के साथ न्यायपालिका जिला स्तर के नीचे गांवो के समूह स्तर तक स्थापित हो गई है। इस प्रकार अगर हम देखे तो अपने देश में हमने गॉव से लेकर दिल्ली तक लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने और उन्हे मजबूत करने का प्रयास किय हैं। यहां यह समझना जरुरी है कि इन संस्थाओं को मजबूत और परिपक्व होने में समय लगेगा।

आदिवासी क्षेत्र और संविधान –

भारत देश में सामाजिक व्यवस्था और संसाधन प्रबंधन का काम सदियों से लोग खुद करते आ रहे है। देश में हुऐ बाहरी हमलो और नई संस्कृतियों से मिलने का साथ – साथ देश में सामाजिक व्यवस्था और समाज के संसाधनों पर नियंत्रण की स्थिति में भी बदलाव आया। ब्रिटिश साम्राज्य जैस – जैसे मजबूत होता गया वैस – वैसे लोग संसाधनों के प्रबंधन की भूमिका से दूर हटते चले गये। देश में आदिवासी क्षेत्रों में यह बदलाव न तो बहुत प्रभावी हो पाया और न ही आदिवासी समाज ने दन बदलावों को बहुत आसानी से स्वीकार किया। आजादी के बाद संविधान बनाते समय देश के आदिवासी क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की व्यवस्था पर विस्तार से बातचीत हुई और इस बात पर सहमति बनी कि आदिवासी इलाकों के प्रशासन को अलग ढंग से देखने और समझने की जरुरत है। आजाद में आदिवासी और जनजातीय अस्मिता बनी रहे इसके लिये पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिये अलग कानून बनाया गया।

देश के आदिवासी बहुलता वाले इलाकों को संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के रुप में पहचाना गया है। इन अनूसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कानून के हिसाब से, संसद और विधानमण्डलों के उपर देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधायी यानि कानून बनाने की शक्ति दी गयी है। अतः संविधान, लोकतंत्र ओर स्वराज को समझते समय संविधान के इन विशेष क्षेत्रों और प्रावधानों को भी समझना भी जरुरी है। इस अध्याय में हम विशेष रुप से संविधान की पांचवी अनुसूची और उससे जुड़े क्षेत्रों में राज्यपाल के अधिकारों पर समझ बनाने का प्रयास करेंगे।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत को दो तरह के क्षेत्रों में बांटा जा सकता है–

1. गैर आदिवासी या सामान्य क्षेत्र
2. आदिवासी व अनुसूचित क्षेत्र

आदिवासी व अनुसूचित क्षेत्रों को फिर दो भागों में बाटां गया है–

1. देश के पूर्वोत्तर के इलाकों के आदिवासी क्षेत्र

2. बाकी देश में सामान्य क्षेत्रों के बीच स्थित आदिवासी क्षेत्र

देश के पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल राज्यों में संविधान की छठवीं अनुसूची तथा बाकी देश में रहने वाले आदिवासी क्षेत्रों में पॉचवी अनुसूची के अनुसार शासन व्यवस्था चलेगी। देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल, संसद तथा विधानसभाओं के अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर अपने विवके से आदिवासी क्षेत्रों के लिये अलग कानून बना सकते है, जिन्हें सविधान से विनिमय या रेग्युलेशन कहा गया है।

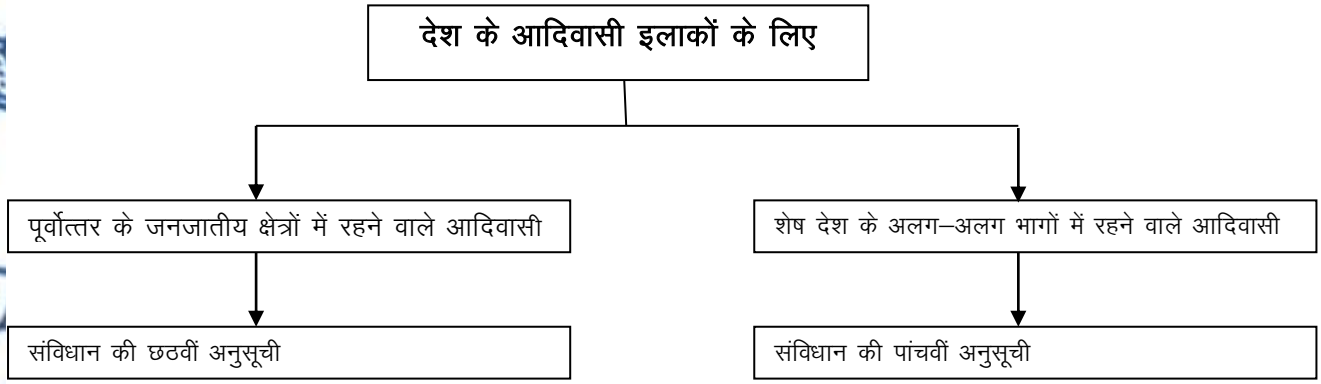

अनूसूचित क्षेत्रों में प्रशासन, संविधान की पांचवी अनुसूची

छत्तीसगढ़ में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनो है। देश के दुसरी प्रांतो की तुलना में छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 43 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी आदिवासी है।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुलता वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रुप में पहचाना गया और राष्ट्रपति ने इसे पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है।

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों की सूची –

क्र.सं.	जिले का नाम	अनुसूचित क्षेत्र	विकास खण्ड
1.	बस्तर	पूरा जिला	सभी विकास खण्ड
2.	दन्तेवाड़	पूरा जिला	सभी विकास खण्ड
3.	कांकेर	पूरा जिला	सभी विकास खण्ड
4.	कोरबा	पूरा जिला	सभी विकास खण्ड
5.	जशपुर	पूरा जिला	सभी विकास खण्ड
6.	सरगुजा	पूरा जिला	सभी विकास खण्ड
7.	कोरिया	पूरा जिला	सभी विकास खण्ड
8.	बिलासपुर	कटघोरा, बिलासपुर	गौरेला – 1, गौरेला –2 (पेण्ड्रा रोड) सामुदायिक विकास खण्ड का कोटा राजस्व निरीक्षक सर्कल एवं मरवाही आदिवासी विकास खण्ड
9.	रायगढ़	लैलूंगा, धरमजयगढ़, घरघोड़ा तहसीलें एवं	खरसिया आदिवासी विकास खण्ड एवं लैलूंगा, धरमजयगढ़, घरघोड़ा तहसीलों के

		खरसिया आदिवासी विकास खण्ड	सभी विकास खण्ड
10.	दुर्ग	बलोद तहसील का डोण्डी का आदिवासी विकास खण्ड	डोण्डी आदिवासी विकस खण्ड
11.	राजनांदगांव	चौकी तहसील एवं मानपुर एवं मोहला आदिवासी विकास खण्ड	चौकी, मानपुर एवं मोहला
12.	रायपुर	विंद्रानवागढ़	गरियबंद, मेंनपुर व छुरा
13.	धमतरी	नगरी (सिंहावा)	नगरी (सिंहावा)

पांचवीं अनुसूची वाले राज्यों में

- एक जनजातीय सलाहकर परिषद, का गठन होगा जिसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होगी।
- यह जनजातीय सलाहकार परिषद, राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के बारे में सलाह देगा।
- राज्यपाल, संसद या राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू होने से रोक सकते हैं या उसे संशोधित कर सकते है।
- पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों के लिए शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं

यह विनियम

- जनजातियों के सदस्यों के जमीन आवंटन का विनियमन कर सकेंगे।
- जनजातियों की जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा सकते है।
- आदिवासी लोगों को धन उधार देने वाले या साहूकारों के उपर धंधा करने से जुड़े विनियम बना सकते हैं।

पांचवीं अनुसूची के मामले में भारत के राष्ट्रापति को यह अधिकार है कि

- वह पहले से घोषित अनुसूचित क्षेत्रों या उसके किसी हिस्से को अनुसूचित क्षेत्रों से हटा सकते है।
- राज्यपाल से सलाह लेकर अनुसूचित क्षेत्रा बढ़ा सकते हैं।
- देश की संसद को पांचवी अनुसूची के प्रावधानों में परिवर्तन या बदलाव का अधिकार है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पास काफी सारे पैसा, काम और ताकत है। वे मनमानी न करें, पैसों का गलत उपयोग न हो इसलिए उन पर निगरानी रखना जरूरी है। संसद के सदस्य मंत्रिमण्डल पर निगरानी रखते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल बनें रहें, इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा के अधिकतर सदस्यों का उनके ऊपर विश्वास हो। यदि मंत्रिमण्डल और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया भी जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया है तो मंत्रिमण्डल हटा दिया जाता है।

इसके अलावा संसद के सदस्य लोकसभा या राज्य सभा में मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। मंत्री लोग किसी भी सवाल का जवाब देने से इन्कार नहीं कर सकते। और न

ही मंत्री गलत जवाब दे सकता है। यदि जानकारी गलत साबित हुई तो मंत्रिमण्डल के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

केन्द्रीय स्तर पर जो काम सांसद करती है वही काम राज्य के स्तर पर विधानसभा करती है। विधानसभा के सदस्य राज्य सरकार के कामकाज और पैसों के उपयोग पर निगरानी रखते हैं। वे मंत्रियों से उनके काम के बारे में सवाल पूछते हैं और जानकारी लेते। देश की आजादी के बाद जब देश के कायदे कानून बनाने पर बहस चल रही थी तो यह माना गया था कि जिले, तहसील और गांव में भी पंचायत के रूप में स्वशासन होगा। इस का मतलब हुआ कि क्षेत्र के लोग पंचायत बनाकर अपनी सरकार खुद चलायेंगे। पर देश के संविधान में गांव और जिले स्तर पर शासन के कायदे कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी गयी थी। इस का नतीजा यह हुआ कि आजादी के बाद 1952 में जब आम चुनाव हुए तो पंचायतें स्थाई रूप में उभर कर आगे नहीं आयी। हमें आजादी तो मिली और अपनी सरकार भी बनी। पर वह सरकार लोगों की पहुंच से दूर दिल्ली और बड़े शहरों में बनी।

- जो योजनायें बनती है क्या वह ठीक प्रकार से चलाई जाती है ?
- क्या योजना बनाने वाले गॉव की समास्या को अच्छी तरह समझते और जानते हैं ?
- क्या योजना को चलाने के लिये जरूरी साधन और लोग मिल रहे हैं ?

धंधे खुले। शिक्षा देने के लिये बड़ी संख्या में स्कूल खुले। बड़े गॉव के स्तर तक स्वास्थ्य केन्द्र बने, सड़कों का और रेल की लाइन का देश भर में जाल बिछा। बिजली की लाइनें दूर दराज के गॉव तक पहुंची। पर यह सब होने के बाद भी देश में अभी तक कई बड़ी समस्यायें बनी हुई हैं।

- आज भी देश की लगभग आधी आबादी निरक्षर है।
- बहुत से गॉव में अभी भी स्वास्थ्य सेवा और पीने के साफ पानी की कमी है।
- बेराजगारी और गरीबी अभी भी बाकी है।
- बहुत से परिवारों के पास रहने को घर नहीं है।
- समाज में महिलाओं और लड़कियों की हालत आज भी पिछड़ी है।

क्या कारण है कि ढेर सारी विकास की योजनाओं के बाद भी इतनी बड़ी समस्यायें बनी हुई हैं ? क्या कारण हैं कि इतना सारा धन खर्च होने के बाद भी लोगों को पूरा लाभ नहीं मिला ? विकास के काम में लगे लोगों को एक और चिंता सताती है। विकास की योजनायें चलाने के लिये हम दूसरे देशों से कर्जा भी लेते हैं। यह कर्जे हजारों करोड़ो रूपये के हैं और इन पर ब्याज भी चढ़ता है। योजनाओं की मदद से बड़े पमाने पर गांव की हालत न बदलने के कई कारण हो सकते हैं।

संविधान का 73 वां संशोधन

1950 में संविधान स्वीकार करने के साथ ही देश में संघीय ढांचा अपनाया गया यानि देश को राज्यों का संय घोषित किया गया। देश की संविधान सभा में गांवो के स्तर पर पंचायतों की स्थापना पर सैद्धांतिक सहमति नहीं बन पायी। संविधान के नीति–निर्देशक सिद्धांतों में (धारा 40) खाली इतना कहा गया कि राज्य (संघीय तथा राज्य विधान मंडल) स्थानीय स्तर पर पंचायतों के ऐसे अधिकार सौंपेंगे ताकि पंचायतों स्वशासन की इकाई के रू‍प में काम कर सकें।

लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था को लागू करने के लिए 1952 में पहले आम चुनाव हुए। आम चुनावों के द्वारा देश में कुछ इस प्रकार की लोकतांत्रिक और प्रशासनिक संरचना स्थापित हुई।

पंचायत व्यवस्था से पहले

जिले से नीचे तहसील और राजस्व ग्राम जैसी इकाई तो बनी लेकिन गांवों को प्रशासन की अंतिम इकाई नहीं माना गया। अतः तहसील से नीचे की प्रशासन की अंतिम इकाई तय न होने से काफी दिक्कतें आयी। अतः विकास के प्रशासन को पुनः परिभाषित करने के लिए 1950 के दशक में एक समिति गठित हुई और सुझाव पर विकास खण्डों की स्थापना हुई तथा देश में तीन स्तरों पर पंचायतों की स्थापना हुई।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिला और नीचे के स्तर पर शासन व्यवस्था में लोग कभी शामिल नहीं रहे और यह जिम्मेदारी कलेक्टर और उसके अधीन काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में बनी रही।

जिला स्तर पर	→ जिला पंचायत
विकास खण्ड स्तर	→ जनपद पंचायत
ग्राम स्तर पर	→ ग्राम पंचायत

भारत सरकार की अलग–अलग कमेंटियों के सुझावों से इन पंचायतों का गठन हुआ और समय–समय पर इनके अधिकारों और कार्यक्षेत्र में बदलाव भी आया लेकिन कभी भी इन पंचायतों को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। ये पंचायतें प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में काम करती थी।

पंचायतों के स्थापना के साथ–साथ ही देश में विकास तथा सामाजिक बदलाव के सुनियोजित प्रयास किए गए। पूरे भारत में समान रूप से एक जैसी पंचायत राज व्यवस्था लागू करने के लिए लोकसभा में दिनांक 22 सितम्बर 1992 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। इस पर देश के आधे से अधिक विधान मण्डलों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर महामहिम राष्ट्रापतिजी ने 20 अप्रैल 1993 को इसे मंजूरी दी। तारीख 24 अप्रैल 1993 को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुई जिसके अनुसार एक वर्ष की समय सीमा में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्यों से अपेक्षा की गई कि वे अपने–अपने पंचायत राज कानून बना लें। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत राज व्यवस्था कानून के रूप में पूरे देश में 24 अप्रैल 1994 से एक साथ लागू हो गई। 73 वें और 74 वें संविधान के बाद देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का स्वरूप कुछ इस प्रकार बना–

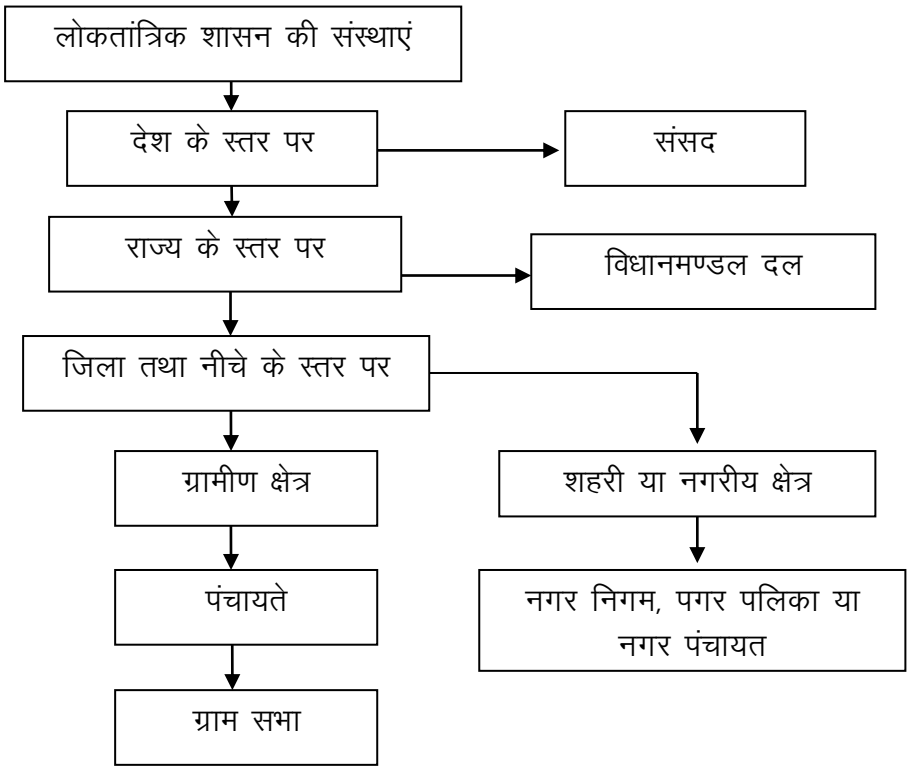

73 वें संविधान संशोधन के पूर्व, ग्राम सभा की अनिवार्यता नहीं थी। सत्ता के वास्तविक विकेन्द्रीकरण एवं सत्ता में जन–जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से संविधान में अनुच्छेद 243 "क" प्रतिस्थापित किए गए। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 6 एवं 7 में ग्राम सभा का तथा धारा 129 क, ख, ग में अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा के गठन कार्य दायित्व आदि का प्रवधान किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था को 73 वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। जिसमें ग्राम सभा को स्वायत्त शासी इकाई के रूप में सशक्त किया गया है।

स्थानिय प्रशासन में जन–जन की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था का लोकतांत्रिक आधार है। इसे मजबूत करने के लिए ग्राम सभा अत्यंत ही प्रभावी माध्यम है। इस व्यवस्था में ग्राम के प्रत्येक मतदाता को महत्व दिया जाता है। ग्राम के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होंगे। यह लोक सभा तथा विधान सभा के समान अपने मंत्री मंडल अर्थात् ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखेगी। कार्ययोजना का अनुमोदन, आय–व्यय का अनुमोदन, हितग्राहियों का चयन तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाने की योजनाओं का अनुमोदन मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण पंचायत राज व्यवस्था में प्रथमतः ग्राम सभा करेगी। गांव के सभी वयस्क लोगों की उपस्थिति में सभी निर्णय हो, पंचायत क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना खर्च कर रही है, किस बात पर खर्च कर रही है। यह सब जानने का अधिकार गांव वालों को मिला है। इस प्रक्रिया द्वारा अच्छी भागीदारी, जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य हो सकेंगे। जन–जन के शासन का सपना ग्राम सभा में अधिक से अधिक भागीदारी से ही पूरा हो सकता है। ग्राम स्वराज्य की भावना को वास्तविक स्वरूप देने का यह ठोस प्रयास है।

ग्राम पंचायत

गांव जिसकी आबादी कम से कम एक हजार हो को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाएगा तथा जिस गांव की आबादी एक हजार से कम है उसको अन्य गांव के साथ मिलाकर ग्राम पंचायत बनाया जाएगा।

ग्राम पंचायत को उसकी आबादी के आधार पर वार्ड (पारों) में बांटा जाएगा जिनककी संख्या कम से कम 10 व अधिक से अधिक 20 होगी।

वार्डों का निर्धारित आरक्षण के आधार पर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

ग्राम सभा के सदस्य अपने–अपने वार्ड के लिए पंच तथा पूरी पंचायत के लिए एक सरपंच का चुनाव करेंगे साथ ही जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों का सीधे मतदान द्वारा इसी समय चुनाव करेंगे।

पंच एवं सरपंच का चुनाव हो जाने के पश्चात उपसरपंच के पद के लिए सरपंच एवं पंच मिलकर अपने बीच के किसी एक पंच को मनोनित करेंगे। यदि सरपंच सामान्य जाति के हैं तो उपसरपंच अनुसूचिति जाति/जनजाति के पंच को बनाया जाएगा।

ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के कार्य

स्रपंच	पंच
ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करना (अनु. क्षेत्र) पाचवीं अनुसूची क्षेत्र को छोड़कर	ग्राम पंचायत की बैठक मे भाग लेना।
	उपसरपंच के चुनाव में भाग लेना तथा चुनाव में सहायता करना।
	ग्राम पंचायत की बैठक में कार्य सूची एवं एजेन्डे पर चर्चा तथा सुझाव।
ग्राम पंचायत की योजनाओं, की निगरानी एवं व्यवस्थापन।	वार्ड के विकास के लिए पंचायत की योजनाओं में वार्ड की आवश्यकताओं को शामिल कराना।
ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों का नियंत्रण	अपने वार्ड में वृक्षारोपन कराना।
ग्राम पंचायत की वार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक बैठक का आयोजन।	मध्यन्ह भोजन की सुनिश्चितता।
पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मचारियों का मार्गदर्शन।	सभी बच्चों को स्कूल भेजने हेतु प्रयास करना।
ग्राम पंचायत को दिये गये कार्यों को ठीक ढंग से सम्पन्न कराना।	वार्ड की साफ–सफाई पर ध्यान देना।
पंचायत निधि से चेक जारी करना।	बाल विवाह, दहेज प्रथा को रोकना।

पंचायत निधि का पंचायत सचिव के साथ संयुक्त संचालन करना।	वार्ड में अतिक्रमण रोकना।
पंचायत एवं शासकीय राशि का सही हिसाब किताब रखना	गरीबी रेखा सूची सर्वेक्षण एवं अनुमोदन में गरीबी रेखा वाले परिवारों की सही पहचान में सहायता।

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां

ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व गांव के विकास और उत्थान के कार्यक्रम में साफ–सुथरे प्रशासन करना है। ग्राम पंचायत को पंचायत राज अधिनियम के अर्न्तगत अनेक कार्य सौंपे गये हैं। इन कामों को पूरा कर अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाने के लिए सभी पंचों को मिल जुलकर सहयोग की भवना से काम करना होगा।

ग्राम पंचायत सौंपे गए कार्यों की योजना बनाने, उन पर सर्व सम्मति से सार्थक निर्णय लेने और उन कामों को पूरा कर अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाने के लिए अधिक से अधिक पांच स्थायी समितियों का गठन कर सकती है। ये स्थायी समितियां उन अधिकारों का प्रयोग भी करेगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें सौंपे जाएंगे।

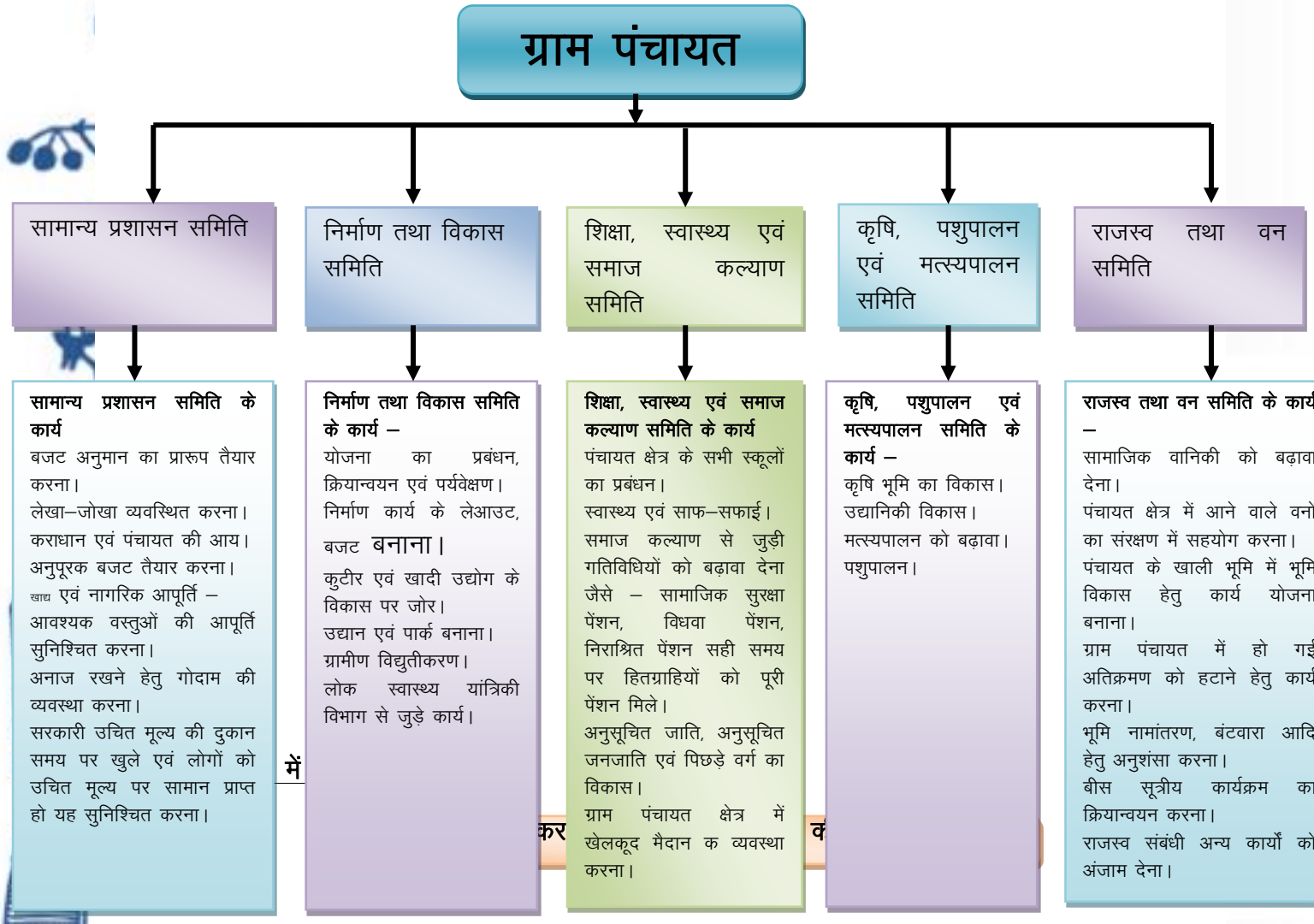

मद	कौन करेगा	कब तक होगा
अगले साल के लिये प्रस्तावति कार्यक्रम	स्थायी समितियों से ग्राम सामान्य प्रशसन समिति को	हर साल 31 जनवरी
ग्राम पंचायत को निधियों की उपलब्धता की सूचना	जनपद/जिला पंचायत द्वारा	हर साल 31 जनवरी
बजट का प्रारूप तैयार करना	सामान्य प्रशासन समिति	हर साल 7 फरवरी तक
बजट अनुमान के प्रारूप पर चर्चा एवं अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा पंच/सरपंच	हर साल 21 फरवरी तक
ग्राम पचायत से जनपद को अनुमोदित बजट	ग्राम पंचायत द्वारा	फरवरी के अंतिम दिन तक
बजट परीक्षण तथा उसके अनुमोदन के बाद पंचायतों को भेजना	जनपद पंचायत द्वारा ग्रामपंचायत को	हर साल 15 मार्च को

ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत

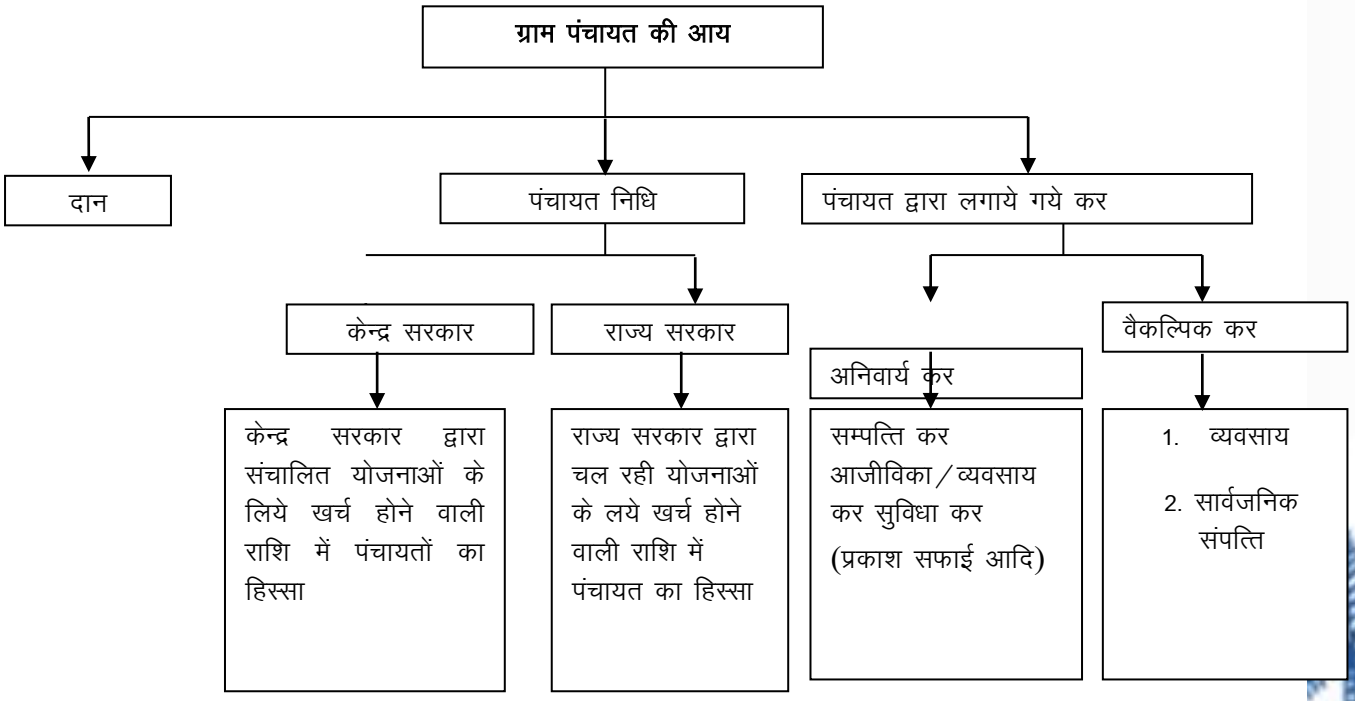

व्यवसाय – सराय/धर्मशाला आदि पर, बूचड़ खाना, सार्वजनिक शौचालय, जल कर आदि।
सार्वजनिक संपत्ति – सराय/धर्मशाला पर सेवा कर, पशु वध गृह, चारागाह, सार्वजनिक शौचालय, कूड़े कचरे की सफाई आदि।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 40)

वर्ष1993 में पारित 73 वें संशोधन में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गयी। लेकिन यह महसूस किया गया कि इसके कई प्रावधनों में अनुसूचित इलाकों को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए सांसद दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक कमेटी को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने संबंधी प्रावधान सुझाने का दायित्व सौंपा गया। भूरिया समिति कि अनुशंसा के आलोक में संसद ने 1996 में पेसा कानून बनाया। इसका पूरा नाम है– पंचायत राज विस्तार अधिनियम 1996

पेसा कानून में आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गयी। यह व्यवस्था की गयी कि किसी भी राज्य द्वारा आदिवासियों की परंपरा, रीति–रिवाज और जीवन पद्धति के खिलाफ कोई कोई भी कानून नहीं बनाया जायेगा। पेसा कानून में अनुसूचित क्षेत्रों के कमजोर लोगों, खासकर आदिवासियों को जल, खासकर आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर पारंपरिक अधिकार को कानूनी दर्जा दिया गया।

पेसा कानून के मुख्य बिंदु

- पंचायतों पर कोई कानून बनाया जाए तो वह रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और सामुदायिक सम्पदाओं की परम्परागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरू॰ हो।
- ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा छोटे गांवों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परम्पराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।
- प्रत्येक ग्राम में एक ग्रामसभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों का समावेश ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में किया गया है।
- प्रत्येक ग्रामसभा, जनसाधरण की पराम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक सम्पदाओं तथा विवाद निपटान, परम्परागत ढंग से करने में सक्षम होगी।
- जनजातीय समूहों के स्वशासन में उनकी लोक परम्पराओं व रीति रिवाजों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
- आदिवासी अभिशासन के पहलू में प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण व सुप्रबन्धन सर्वोपरि स्थान दिया गया।
- आदिवासी अभिशासन के पहलू में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व सुप्रबन्धन सवोपरि होता है, इसका ध्यान रखा जाये।
- स्वशासन की जनजातीय व्यवस्थाएं प्राकृतिक संसाधनों से सामंजस्य बनाए रखने को प्राथमिकता देती है, इसका भी ध्यान रखा गया।
- संविधान के नैंवे अध्याय में पंचायत संबंधी प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने हेतु यह अधिनियम (पेसा) बनाया गया है।

- इस कानून से आदिवासी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला है।

ग्राम सभा– पांचवीं अनुसूची वाले गांवों की ग्राम सभाएं

ग्रास सभा

ग्राम सभा का मतलब है एक ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनका नाम पंचायत या उसके अंदर आने वाले गांव की निर्वाचक नामवारी (मतदाता सूची) में हो (धारा 129 क)
कहने का तात्पर्य यह है कि गांव के सभी वयस्क, महिलाओं और पुरूषों, (जिनका नाम मतदाता सूची में हो/18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों) को मिलाकर ग्राम सभा बनेगी।

धारा –129 क परिभाषएं–	ग्राम सभा का गठन (धारा 129 ख)	कोरम (धारा129 ख –3)	अध्यक्षता (धारा129ख –4)
इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अध्याय में जब, तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो – (क) '' **ग्राम सभा**'' से अभिप्रेत है ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर उसके ऐसे भाग में, जिसके लिये उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित है। (ख) '' **ग्राम**'' से अभिप्रेत है अनुसूतिच क्षेत्र मे कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता है	अनुसूचित क्षेत्र के राजस्व ग्राम व वन ग्राम के भीतर भी एक या एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। यानि एक गांव के छोटे–छोटे, पारों या फालियों में ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। छोटे गांव में ग्राम सभा गठित होगी या नहीं यह उस ग्राम सभा के सदस्यों पर निर्भर करेगा। ग्राम सभा की बैठक चलाने के सम्बन्ध में इन ग्राम सभाओं में भी सामान्य क्षेत्रों की ग्रम सभा के नियम लागू होंगे।	अनुसूचित क्षेत्रों में कोरम पूरा होने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों का हाजिर होना जरूरी है और एक तिहाई सदस्यों में भी एक तिहाई महिलाओं का होना जरूरी है। याने अगर ग्रामसभा के 300 सदस्य है तो कोरम पूर्ति के कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए। इन 100 सदस्यों में से 33 महिलाएं होना जरूरी है।	अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा से जुड़े अधिनियम में सबसे खास बात यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का कोई भी सरपंच, या पंच सभा के बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। बैठक की अध्यक्षता ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित अनुसूचित जनजाति का कोई भी सामान्य सदस्य कर सकता है। जो उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से चुना गया हो।

ग्राम सभा में आपकी भागीदारी

ग्राम सभा के सदस्य

जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उनका नाम क्षेत्र की मतदाता सूची में हो।

ग्रामसभा की बैठक कब हो?

23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह

बैठक में भाग लेंगे

ग्राम सभा के सदस्य, पंचायत सदस्य, पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि

गणपूर्ति (कोरम)

ग्रामसभा बैठक के लिए एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति तथा उसमें से भी एक तिहाई महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

बैठक का स्थान व समय

सार्वजनिक स्थल पर, ऐसे समय जब अधिक लोग भागीदारी निभा सके (विशेषकर महिलाएं व पिछड़े समुदाय

बैठक की सूचना

ग्रामसभा की बैठक व एजेण्डा की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व।

ग्राम सभा के कार्य एवं दायित्व (धारा 7 एवं 129 ग)

1. ग्राम सभा के आर्थिक विकास तथा ऐसी योजनाओं की पहचान तथा उनकी प्राथमिकता तय करना;

2. सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजनाएं जिनमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित है, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कर्याकर्मों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ करने से पूर्व अनुमोदित करना;

3. ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिशें करना;

4. ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना;

5. ग्राम पंचायत द्वारा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिये निधियों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करना तथा प्रमाणित करना;

6. गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान कर चयन करना;

7. हितग्राहियों में निधियों या आस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना;

8. सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये लोगों को गतिशील बनाना;

9. ग्राम में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, उन्हें बनाए रखने तथा वितरण के लिए व्यक्तियों के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करना;

10. जन साधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना;

10.1. सामाजिक क्रियाकलापों की ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे काम करने वालों पर, जो ग्राम पंचायत को अंतरित या ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त किये गये है, उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करना;

10.2. ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों का, जिनके अंतर्गत भूमि, जल, वन आते है संविधान के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबंध करना;

10.3. ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग में सलाह देना;

10.4. स्थानीय योजनाओं के स्त्रोतों और व्यय पर नियंत्रण रखना;

11. राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये कार्यों का पालन तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना

किसी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त धारा 129. (ग) मे निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्य भी सौंपे गये है –

1. व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना।
2. ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों, जिनके अंर्तगत भूमि, जल तथा वन आते है उसकी तथा संविधान में प्रावधनों के अनुरूप, परम्परा के अनुसार और तत्समय लागू नियम/कानून को ध्यान में रखते हुए प्रबंध करना।
3. ग्राम के बाजारों तथा मेलों को, जिनमें पशुमेला भी सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाए, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना;
4. स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएं सम्मिलित है, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना और
5. अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं के अतिरिक्त अधिकार – प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजओं का अनुमोदन करेगी।
6. गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितग्राही के रूप में पहचान या चयन के लिए उत्तरदायी होगी।
7. पंचायत द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर किये गये व्यय/निधि (फंड) के उपयोग का अनुमोदन/प्रमाणित ग्रम सभा द्वारा की जाएगी।
8. विकास परियोजनओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भू–अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायत से परामर्श किया जायेगा।
9. अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिशों प्राप्त करने के बाद अनुमति दी जाएगी। नीलामी या गौण खनिजों के समापयोजन के लिए रियायत, ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश करने के पश्चात अनुमति दी जाएगी।
10. अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को मद्य निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य की बिक्री और उपभोग से विनियमित या निर्बाधित करने की शक्ति प्रदान की गयी है। अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य आसवन विधि द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे। परंतु प्रत्येक परिवार के लिए एक समय में 5 लीटर से अधिक देशी मदिरा संचित करने का अधिकार नहीं है।
11. अनुसूचित क्षेत्र में लघु वनोपज का संग्रहण उस क्षेत्र के लघुवनोपज सहकारी समितिके सदस्य के रूप में कर सकेंगे।
12. यदि कोई ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भूमि स्वामी के भूमि को बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के अपने कब्जे में रखा है तो वह ऐसी भूमि को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराकर उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को ग्राम सभा प्रत्यावर्तित कराएगी।
13. जब कभी भी भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अधिन करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी निजी भूमि अर्जन करने की आवश्यता पड़ने पर ऐसी भूमि के अर्जन के लिए भू–अर्जन अधिनियम 1894 की

धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा से परामर्श लेने के उपरांत ही भू–अर्जन की कार्यवाही की जा सकेगी।

अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा के अधिकार एवं शक्तियां

ग्रामसभा को गांव के अर्थिक विकास से जुड़ी सभी योजना बनाने, उनके कियान्वयन तथा मानिटरिंग करने, हितग्राही मूलक सभी स्कीम तथा कार्यक्रमों का नियंत्रण और मॉनिटरिंग करने का अधिकार है।

प्राकृतिक संसाधनों (जल,जंगल,जमीन) पर नियन्त्रण

गांव में वन विभाग द्वारा गठित समितियों पर ग्राम सभा का नियंत्रण। अपने क्षेत्र के वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी। विभाग वनों के दोहन से पहले ग्रामसभा से विचार–विमर्श करेगा। ग्रासभा अपने क्षेत्र से निकलने वाली या गुजरने वाली लकड़ियों और वनोपज की जांच कर सकती है। ग्रामसभा या जनपद की सभी ग्राम सभाएं या जिले की सभी ग्राम सभाएं मिलकर ऐसे वनोपज खरीद का न्यूनतम मूल्य तय कर सकेगी

सरकारी संस्थाएं कर्मचारी पर नियंत्रण

ग्रामसभा को हस्तांतरित किये गये अथवा कोई भी कर्मचारी जिसे पंचायत ने नियुक्त किया है, इन पर ग्रामसभा नियन्त्रण रखेगी। ग्रामसभा यदि किसी कर्मचारी से असंतुष्ट है तो विभाग को उनकी छुट्टी/वेतन रोकने की सिफारिश कर सकती है। वन विभाग के कर्मचारी भी ग्रामसीाा से विचार–विमर्श करके वनों के दोहन एवं संरक्षण का

सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण

ग्रामसभा को यह अधिकार है कि वे अपने यहां की जनजाति समुदाय की परम्परा, सांस्कृतिक पहचान तथा सामुदायिक साधनों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आपसी झगड़ों को निपटाने में परम्परागत सामाजिक तरीकों को भी मान्यता दी गई है। ग्रामसभा के भीतर भरने वाले मेला/बाजार पर भी ग्रामसभा का

ग्रामपंचायत के साथ समन्वय

ग्रमसभा को यह अधिकार व जिम्मेदारी है कि वह पंचायत द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं, कार्यक्रमों को कियान्वयन से पहले अनुमोदन करे।

सामान्य ग्राम सभा और अनुसुचित क्षेत्र की ग्राम सभा में अंतर

सामान्य ग्राम सभा	अनुसुचित क्षेत्र की ग्राम सभा
राजस्व ग्राम व वनग्राम में उस गांव के वयस्क मतदाताओं को मिलाकर गठित की जोयेगी।	अनुसूचित क्षेत्रों के राजस्व ग्राम व वनग्राम के भीतर भी एक या एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है।
सामान्य ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जावेगी। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा का कोई भी सदस्य करेगा जिसका चुनाव बैठक में उपस्थित सदस्य बहुमत से करेंगे।	ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित अनुसूचित जनजाति का कोई भी सामान्य सदस्य कर सकता है। जो उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से चुना गया हो।
ग्राम सभा का कोरम तभी पूरा माना जाएगा जब बैठक में ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम दसवां हिस्सा बैठक में उपस्थित हों साथ ही उसमें तीसरा हिस्सा महिला का हो।	ग्राम सभा की बैठक के लिए कम से कम ग्राम सभा सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई उपस्थिति जरूरी है। जिसमें कम से कम एक तिहाई महिलाओं का होना आवश्यक है।
शक्तियां और काम गांव की उन्नति के लिए कौन–कौन सी स्कीमें लागू की जानी चाहिए यह तय करना और इनमें से कौन सी स्कीम पहले लागू करना है इसके लिए सिद्धांत तय करना। ग्राम पंचायत द्वारा योजनाएं लागू करने के पहले उन्हें मंजूरी देना। यह देखना औरे प्रमाणित करना कि जिन योजनाओं को मंजूरी दी गयी है उन पर ठीक ढंग से कार्य हो रहा है या नहीं। ग्राम पंचायत के सालाना बजट पर विचार करना और उस पर अपनी राय देना। ग्राम पंचायत के सालाना खाते पर और उस खाते के ऑडिट पर विचार करना। गरीबी हटाने और दूसरे सरकारी कार्यक्रमों का फयदा किन लोगों को मिले यह तय करना। ग्राम पंचायत को सौंपी गयी सामाजिक संस्थाओं पर पंचायत के जरिये नियंत्रण ररखना। गांव के इलाके की जमीन, पानी, जंगल और खदानों की नियम के अनुसार देखरेख करना। तालाबों के उपयोग और उनके इंतजाम में ग्राम पंचायत को सलाह देना। स्थानीय योजना के लिए पैसा कहां से आ रहा है और किस प्रकार से खर्च हो रहा है इस पर नियंत्रण रखना। अगर जनपद और जिला पंचायत ग्राम पंचायत को कोई काम सौंपते हैं तो वह भी ग्राम सभा के सामने विचार के	सामान्य ग्राम सभा को मिले अधिकारों के अलावा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को निम्नलिखित विशेष अधिकार प्राप्त हैं– • गांव के लोगों की परंपराओं, रूढ़ियों और उनकी संस्कृतियों का संरक्षण करना। • सामुदायिक संसाधनों तथा विवादों के निराकरण के लिए परंपरागत पद्धतियों को सुरक्षित रखना और उनकी रक्षा करना। • गांव के अंदर (ग्राम पंचायत के) आने वाले जल, जंगल और जमीन का अपनी परंपरा के अनुसार तथा संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन करना। • गांव के बाजारों और मेलों (जिसमें पशुमेला भी शामिल है) का प्रबंधन ग्राम पंचायत के माध्यम से करना। • स्थानीय योजनाओं (जिसमें जनजाति योजना भी शामिल है) के स्रोतों और खर्चों पर नियंत्रण रखना। • राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दी जानेवाली शक्तियों या कार्यों का निर्वाह करना।

लिए पेश होगा। अगर सरकार, कलेक्टर या दूसरे अधिकारी के जरिये पंचायत को कोई काम सौंपती है तो वह भी ग्राम सभा की बैठक में विचार के लिए पेश किया जायेगा।	

परिशिष्ट – 1

अनुबंध -VII

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग-II खण्ड-I
प्राधिकार से प्रकाशित

संख्या 70 नई दिल्ली, मंगलवार दिसम्बर 24, 1996/पौष 3, 1918
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1996/पौष 3, 1918
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1996/पौष 3, 1918 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 24 दिसम्बर, 1996 को प्राप्त हुई तथा इसे सामान्य सूचना के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
(1996 का अधिनियम संख्यांक 40)

(24 दिसम्बर, 1996)

पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 है ।

परिभाषा

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषा "अनुसूचित क्षेत्रों" में ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो संविधान के अनुच्छे 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट है ।

संविधान के भाग 9 का विस्तार

3. पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जिनका

उपबंध धारा 4 में किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है ।

संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतरण

4. संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल, उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो निम्नलिखित लक्षणों में से किसी से असंगत हो, अर्थात्-

(क) पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा;

(ख) ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह आवा पुरवा या पुरवों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो;

(ग) प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया गया है;

(घ) प्रत्येक ग्राम सभा, लोगों क परम्पराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों को विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी;

(ङ) प्रत्येक ग्राम सभा -

(1) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं का इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए, अनुमोदन करेगी;

(2) गरीबी उन्मूलन औ अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगा;

(च) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से, खंड (ङ) में निर्दिष्ट योजनाओं,

कायक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभिप्राप्त करे;

(छ) अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना है;

परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा; परंतु यह और कि पंचायत के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे ;

(ज) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों कों जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में यह जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, मार्गदर्शित कर सकेगी;

(झ) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने के पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या उनको पुनर्वासित करने के पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा ;

(ञ) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और उनका प्रबंध उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा;

(ट) समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व आज्ञापक बनाया जाएगा ;

(ठ) उपयुक्त स्तर पर ग्रान सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के लिए आज्ञापक बनाया जाएगा ;

(ड) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और

प्राधिकार प्रदान करते समय जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान-मंडल यह सुनिश्चत करेगा कि पचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त् स्तर पर विनिर्दिष्ट रूप से –

(i) मद्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभेग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति प्रदान की जाए;

(ii) गौव वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाए;

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और किसी अनुसूचित जनजाति की विधिविरुद्धतया अन्य संक्रमित भूमि प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की जाए;

(iv) ग्राम बाजारों का, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, प्रबंध करने की शक्ति प्रदान की जाए;

(v) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(vi) सभी सामाजिक सैक्टरों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(vii) स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के लिए जिनके अंतर्गत जनजातीय उप योजनाएं हैं, संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(ढ) ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर की पंचायतें, निम्न स्तर पर की किसी प्रचायत की या ग्रामसभा की शक्तियां और प्राधिकार अपने हाथ में न लें;

(ण) राज्य विधान-मंडल, अनुसूचित क्षेत्रों में ज़िला स्तरों पर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय संविधान की छठी अनुसूची के पैटर्न का

अनुसरण करने का प्रयास करेगा ।

विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना ।

5. इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख़ के ठीक पूर्व, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंधों से असंगत है, जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उस तारीख़ से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता , तब तक प्रवृत् बना रहेगा;

परन्तु ऐसी तारीख़ के ठीक पूर्व विद्यनान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं, तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी ।

ह0/-
के0एल0 मोहनपुरिया
सचिव,
भारत सरकार

अनुबंध-VIII

परिशिष्ट – 2

अनुसूची क्षेत्रों पर पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 (छत्तीसगढ़)

केन्द्रीय पेसा कानून के अधार पर छत्तीसगढ़ शासन ने 1997 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पांचवी अनुसूची क्षत्रों पर निम्नांकित अध्याय को जोड़ा गया–

अध्याय–14–क– अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध

129–क. परिभाषाएं : इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,–

(क) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में, जिसके लिए उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित हैं,

(ख) "ग्राम" से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करता हो,

129–ख. ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन

(1) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी "ग्राम" को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे

(2) साधारणतया, ग्राम के लिए, जैसा कि उपधारा (1) में परिभाषित है, एक ग्राम सभा होगीः परन्तु ग्राम सभा के सदस्य, यदि ऐसा चाहे तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगा,

(3) "ग्राम सभा" के सम्मिलन के लिए "ग्राम सभा" के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई से गणपूर्ति होगी जिसमें से कम से कम एक–तिहाई महिला सदस्य होंगी,

(4) "ग्राम सभा" के सम्मिलन की अध्यक्षता, ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य न हो और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया गया हों,

129–ग. ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य : किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा को धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य भी होंगे, अर्थात्:–

(1) व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करनाः

(2) समस्त सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर, जो ग्राम पंचायत को अंतरित किए गए हैं, उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करना;

(3) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल, तथा वन आते हैं उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करना;
(4) ग्राम पंचायत को लघु जलाशायों के विनियमन तथा उपयोग में सलाह देना;
(5) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना;
(6) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएं, सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और
(7) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करें या न्यस्त करें,

129–घ. **ग्राम पंचायत के कृत्य :** इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यपकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी, अर्थात्:–
(1) ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों और उसके विनिश्चयों को कार्यान्वित करना;
(2) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, प्रबंध करना;
(3) अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध करना;
(4) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र तक लघु जलाशयों को मछली पकड़ने तथा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए पट्टे पर देना;
(5) सिंचाई के प्रयोजन के लिए नदियों, जलधाराओं, लघुशयों के जल के उपयोग को विनियमित करना;
(6) सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर जो ग्राम पंचायतों को अंतरित किए गए हैं नियंत्रण रखना;
(7) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और
(8) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे,

129–ड़. स्थानों का आरक्षण :
(1) अनूसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगी, परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा,
परन्तु यह और भी कि अधिसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायत के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे,
(2) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं,
परन्तु ऐसा नामनिर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।
(3) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किए जाएंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हों, के लिए
आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से

अधिक नहीं होंगे,

129–च. जनपद पंचायत या जिला पंचायत को निम्नलिखित शक्तियां: इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी, अर्थात्:–

(1) किसी विनिर्दिष्ट जन क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध करना;

(2) समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अन्तरिक संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना;

(3) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(4) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करें या न्यस्त करें ।

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अन्य कार्य एवं शक्तियां

1. पंचायत द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर किये गये व्यय/निधि (फंड) के उपयोग का अनुमोदन/प्रमाणित ग्रम सभा द्वारा की जाएगी।
2. विकास परियोजनओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भू–अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायत से परामर्श किया जायेगा।
3. अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिश प्राप्त करने के बाद अनुमति दी जाएगी। नीलामी या गौण खनिजों के समापयोजन के लिए रियायत, ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश करने के पश्चात अनुमति दी जाएगी।
4. अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को मद्य निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य की बिक्री और उपभोग से विनियमित या निर्बाधित करने की शक्ति प्रदान की गयी है। अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य आसवन विधि द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे। परंतु प्रत्येक परिवार के लिए एक समय में 5 लीटर से अधिक देशी मदिरा संचित करने का अधिकार नहीं है।
5. अनुसूचित क्षेत्र में लघु वनोपज का संग्रहण उस क्षेत्र के लघुवनोपज सहकारी समिति के सदस्य के रूप में कर सकेंगे।
6. यदि कोई ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भूमि स्वामी के भूमि को बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के अपने कब्जे में रखा है तो वह ऐसी भूमि को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराकर उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को ग्राम सभा प्रत्यावर्तित कराएगी।
7. जब कभी भी भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अधिन करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी निजी भूमि अर्जन करने की आवश्यता पड़ने पर ऐसी भूमि के अर्जन के लिए भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा से परामर्श लेने के उपरांत ही भू–अर्जन की कार्यवाही की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997

किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा को धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को प्राप्त शक्तियां तथा कृत्य (129–ग) भी लागू होंगे–

1. उन नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए और ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाएं, अधीन रहते हुए ग्राम सभा की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(क) ग्राम के आर्थिक विकास तथा ऐसी स्कीमों की पहचान तथा उनकी प्राथमिकता के लिए सिद्धांतों को अधिकथित करना;

(ख) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजनाएं जिनमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरम्भ करने से पूर्व अनुमोदित करना;

(ग) ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिशें करना;

(घ) ग्राम पंचायत की सपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना;

(ड) ग्राम पंचायत द्वारा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए विधियों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करना तथा प्रमाणित करना;

(च) गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान तथा चयन करना;

(छ) हिताधिकारियों को निधियों या आस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करना;

(ज) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना;

(झ) ग्राम में विकास स्कीमों की सुविधाओं के क्रियान्वयन, उन्हें बनाए रखने तथा उनके सान्यापूर्ण वितरण के लिए व्यक्तियों के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करना;

(ट) जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्वि करना; और

ट–1.[1] सामाजिक क्रियाकलापों की ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे काम करने वालों पर, जो ग्राम पंचायत को अंतरित या ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त किये गये है, उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करना;

ट–2. ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों का, जिनके अंतर्गत भूमि, जल, वन आते है संविधान के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबंध करना;

ट–3. ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग में सलाह देना;

ट–4. स्थानीय योजनाओं के स्त्रोतों और व्यय पर नियंत्रण रखना;

(ठ) ऐसी अन्य, शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे प्रदत्त की जाएं या उसे सौंप जाएं;

---

[1] ट–1– ट–4 ins by M.P. Act 5 of 1999 (5-4-1999)

2. ग्राम सभा का वार्षिक सम्मिलन, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के कम से कम तीन माह पूर्व किया जाएगा और ग्राम पंचायत ऐसे सम्मिलन के समक्ष निम्नलिखित बातें रखेगीः–

(क) लेखाओं का वार्षिक विवरण;

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट;

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य संबंधी कार्यक्रम

(घ) अंतिम संपरीक्षा टिप्पणी और उसके संबंध में दिये गये उत्तर, यदि कोई हों;

(ड) कोई अन्य विषय, जिसे जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे सम्मिलन के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा करें;

3. ग्राम पंचायत इस धारा के अधीन अपने समक्ष के मामलों के संबंध में ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को, यदि कोई हों, कार्यान्वित करेगी।